

लोक सेवा गांरटी अधिनियम, 2011

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गांरटी अधिनियम, 2011 की धारा 3 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों की निम्नलिखित 9 सेवाओं को अधिसूचित किया है जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैं :—

सं0	सेवा/लाक सेवा का नाम	पदामिहित अधिकारी	सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदन का प्रपत्र	सेवा प्राप्त करने के लिए अपेक्षित दस्ताबेजों की सूची	व्यक्ति जो सेवा के लिए आवेदन करेगा	सेवा के लिए समय सीमा	प्रथम अपीलीय प्रधिकारी	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	जन्म का रजिस्ट्रीकरण	सहायक आयुक्त नगर—नियम/ कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका परिषद/सचिव, नगर पंचायत	हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2003 के अधीन विहित प्ररूप सं0 न पर ।	चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट यदि जन्म स्थान में हुआ है तो यदि जन्म घर पर हुआ है तो जन्म प्रपत्र परिवारिक	माता—पिता या कोई अन्य पारिवारिक सदस्य ।	दो दिन	आयुक्त, नगर निगम, ससम्बद्ध उप—मण्डल मजिस्ट्रेट ।	हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2003 के अनुसार ।

				चिकित्सक /नर्स /प्रशिक्षित दाई/वार्ड पार्शद द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित हो ।				
2.	मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण	यथोपरि	हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2003 के अधीन विहित प्ररूप सं0 8 पर ।	चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट यदि मृत्यु स्वारथ्य संस्थान में हुआ है, यदि मृत्यु घर पर हुआ है तो रिपोर्ट परिवारिक चिकित्सक वार्ड पार्शद द्वारा हस्ताक्षरित हो ।	माता—पिता या कोई अन्य पारिवारिक सदस्य	दो दिन	आयुक्त, नगर निगम, ससम्बद्ध उप—मण्डल मजिस्ट्रेट ।	हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2003 के अनुसार ।

●	विवाह का रजिस्ट्रीकरण	यथोपरि	हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 के उपवस्य के अनुसार विहित प्ररूप पर	विवाह करने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा	माता-पिता या कोई अन्य पारिवारिक सदस्य	दो दिन	आयुक्त, नगर निगम, ससम्बद्ध उप-मण्डल मजिस्ट्रेट ।	—
4.	जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र की प्रति ।	यथोपरि	—	नाम, जन्म तिथि /मृत्यु/ विवाह और अन्य सुंसंमत ब्यौरा	परिवार का कोई व्यक्ति	दो दिन	आयुक्त, नगर निगम, ससम्बद्ध उप-मण्डल मजिस्ट्रेट	—
5.	राशन कार्ड बनाना ।	सहायक आयुक्त नगर निगम/ कार्यकारी अधिकारी, नगरपा	उपाबन्ध 'क' पर विहित प्ररूप प्रति पर ।	वार्ड पार्षद या राजपात्रित अधिकारी द्वारा समयकरूप से विहित प्ररूप पर	परिवार का कोई व्यक्ति	पन्द्रह कार्य दिवस	आयुक्त, नगर निगम, ससम्बद्ध उप-मण्डल मजिस्ट्रेट	

		लिका/सचिव, नगर पंचायत		आवेदन, मजिस्ट्रेट द्वारा ससमयक रूप से अनुप्रमाणित पूर्ववर्ती अभिलेख /अभ्यार्पित <u>प्रमाणपत्र/परिचर्धन</u> /विलोपन प्रमाण पत्र /शपथ पत्र डिपो धारक की रिपोर्ट ।				
6.	जल अपूर्ति /मल निकास कनेक्शन	सहायक आयुक्तनगर निगम/कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका	उपाबन्ध – ख पर निहित प्रारूप प्रति पर	पूर्व/मंजूरी पत्र, कर शोधन, स्वामीत्व, स्थल योजना और किरायदार की दशा में स्वामी	स्वामी या किरायदार	साठ दिन	आयुक्त, नगर निगम, सम्बद्ध उप-मण्डल मजिस्ट्रेट ।	सम्बन्ध नगरपरिषद द्वारा यथा विहित फीस ।

		परिषद्/सचिव, नगर पंचायत ।		का अनापत्तिप्रमाण पत्र, कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता/ अभियन्ता, नगर निगम की तकनीकी रिपोर्ट ।				
7.	भवन योजना प्लान योजना प्लान की अनुज्ञा/नक्शा							
क.	नई योजना की अनुज्ञा	सहायक आयुक्त नगर निगम /कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्/सचिव नगर पंचायत ।	उपाबन्ध—ग पर विहित प्ररूप प्रति पर ।	प्ररूप में यथा निहित	सम्पत्ति का स्वामी	नबे दिन	आयुक्त, नगर निगम सम्बद्ध अप मण्डल मजिस्ट्रेट	सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस

ख.	संशोधित एवं पूर्ण योजना प्लान	यथोपरि	यथोपरि	प्ररूप में यथा निहित सम्पत्ति का स्वामी	सम्पत्ति का स्वामी	नबे दिन	आयुक्त, नगर निगम सम्बद्ध उप मण्डल मजिस्ट्रेट	यथोपरि
ग.	पूर्ण योजना प्लान सभी प्रकार से भवन के पूर्ण होने के पश्चात	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि	साठ दिन	आयुक्त, नगर निगम/सम्बद्ध उप मण्डल मजिस्ट्रेट	यथोपरि
घ	पुरानी पद्धति पर पूनर्निर्माण	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि	साठ दिन	आयुक्त, नगर निगम/सम्बद्ध उप मण्डल मजिस्ट्रेट	यथोपरि
ङ	भवन उपयोग का परिवर्तन	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि	साठ दिन	आयुक्त, नगर निगम/सम्बद्ध उप मण्डल मजिस्ट्रेट	यथोपरि
8.	पत्र का जारी होना	यथोपरि	सदे कागज पर आवेदन	कार्ड की प्रति शपथ –पत्र यदि अपेक्षित हो, नाम	कोई व्यक्ति	सात दिन	आयुक्त, नगर निगम/सम्बद्ध उप मण्डल मजिस्ट्रेट	यथोपरि

				सहित परिवार सदस्य की सूची , परिवार के मुख्य का फोटोग्राफ ।				
9.	बिजली के लिए अनापति प्रमाण पत्र	यथोपरि	यथोपरि	मंजूरी का संदर्भ	कोई व्यक्ति	तीस दिन	आयुक्त, नगर निगम/सम्बद्ध उप मण्डल मजिस्ट्रेट	यथोपरि

- विनिर्दिस्ट दस्तावेजों सहित अनुरोध आवेदन विहित प्रारूप पर सेवा के लिए पदामिहित अधिकारी या उसके अधीनस्थ ऐसे आवेदन को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को किया जा सकता अभिस्थीकृति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी नियम के अनुसार जारी की जाएगी । समस्त पदामिहित अधिकारियों को प्राधिकृत व्यक्तियों के लिए आदेश जारी करना और उन्हें अधिनियम की धारा 5 के अनुसार सूचना पट् पर प्रदर्शित करना अपेक्षित हैं ।
 - धारा 6 के अधीन आवेदन अस्वीकार करने की तारीख से ती दिन की अवधि के भीतर या नियम समय सीमा के अवसान के भीतर, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकेगी ।
 - प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेशके विरुद्ध अपील राज्य सूचना आयोग, हिमाचल प्रदेश, जो द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी है, के समझ दाखिल कर सकेगा ।
-